न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 74/2017

टीकूराम पुत्र नारायणराम जाति नायक निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । — अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। —रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 76 रा.भू.अ. 1956
विरूद्ध आदेश अति.कलेक्टर सूरतगढ
दिनांक 23.05.2017 व तहसीलदार सूरतगढ़ दिनांक 16.09.2015
उपस्थितः—
श्री अशोक छाबड़ा अभिभाक अपीलार्थी
श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 04.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार सूरतगढ ने अपीलांट को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के प्रकरण में चक ठेठार के प.न. 48 की 0.380है0 भूमि पर अतिकमी मानते हुए बेदखल करने, तावान कायम करने व 3 माह की सिविल सजा के आदेश दिनांक 16.09.2015 को दिये, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील अति0कलेक्टर सूरतगढ के समक्ष पेश की जिसका निर्णय अति0 कलेक्टर द्वारा दिनांक 23.05.2017 को किया जाकर तहसीलदार का निर्णय यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार ने अपीलांट को विवादित भूमि पर अतिकमी मानते हुए बेदखल करने, तावान कायम

4/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करने एवं तीन माह की सिविल कारावास की सजा के आदेश दिये थे जिसके विरुद्ध अपीलांट ने अति0कलेक्टर सूरतगढ के न्यायालय में अपील पेश की जो अति.कलेक्टर ने खारिज कर दी। तहसीलदार द्वारा आदेश अपीलांट को बिना सुने एक तरफा तौर पर पारित किया गया था। अपीलांट का कब्जा बतौर अतिक्रमी नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरआरडी 1985 पेज 583, 1988 आरआरडी पेज 690 के न्याय सिद्धान्त पेश किये ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण साबित होने से एवं पश्चातवर्ती कब्जा साबित होने से तहसीलदार द्वारा बेदखल करने एवं तावान कायम करने एवं सिविल कारावास के आदेश दिये एवं जिसकी अपील अति0कलेक्टर के समक्ष पेश होने पर अपील खारिज कर दी गई। अपीलाधीन आदेश उचित होने से अपील खारिज की जावें

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी.न्यायालय अति.कलेक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 23.05.2017 के विरूद्ध द्वितीय अपील के रूप में पेश की गई है जिसमें अधी.न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ का निर्णय दिनांक 16.09.2015 को यथावत रखने के आदेश दिये है। जिनको निरस्त करने हेतु अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धान्तों के आधार पर न्यायालय द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलांट द्वारा किया गया अतिक्रमण रेकार्ड से साबित एवं प्रमाणित है। अतः किसी कानून, न्याय नियम के तहत अपीलांट को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अतः अधी.न्यायालयों के निर्णयों को यथावत रखा जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों अनुसार अपीलांट राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करना प्रमाणित है परन्तु अपीलांट एक काश्तकार है उसके प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुए अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर बेदखली एवं

4/4/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

शास्ती का आदेश यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ निरस्त की जाती है कि अपीलांट इस आशय का शपथ पत्र तहसीलदार सूरतगढ को देवे कि व न केवल इस विवादित राजकीय भूमि अपितु किसी भी राजकीय सम्पत्ति पर भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा तथा विवादित आराजी पर पुनः कब्जा करने की स्थिति में तहसीलदार सूरतगढ का आदेश दिनांक 16.09.2015 स्वतः ही Revive माना जाकर तहसीलदार सूरतगढ कार्यवाही करेगें।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर